न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 75/19 तारीख दायर 8-4-19

1. मांगीलाल पिता देबीलाल जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........प्रार्थी

बनाम्

1. जमना पिता परसराम जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गोर्धन पिता छीतर जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रकाश पिता डूंगा जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. विजयलाल पिता प्यारा जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. सत्यनारायण पिता देबीलाल जाति कराड उम्र वयस्क निवासी उदपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.......विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 30-4-19

प्रार्थना पत्र मांगीलाल किराड ने जरिये अभिभाषक श्री **पंकज कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 49 पर अंकित आराजी संख्या आराजी संख्या 36/2, 37/2, 38/2, 41, 42, 45/2, 218/38 किता 7 रकबा 4–19 बीघा भूमि** स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेडा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढी कमिश्नर फीस 500/– रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का उमाजी का खेडा तहसील बिजौलियां की सरहद में **खाता संख्या 49 पर अंकित आराजी संख्या आराजी संख्या 36/2, 37/2, 38/2, 41, 42, 45/2, 218/38 किता 7 रकबा 4–19 बीघा** की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner